


श्रीमान्जी

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक - पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी काकु सिंह पुत्र श्री जोरा सिंह जाति जट सिख, निवासी गांव कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, मूल रसीद, वारिसान प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि मेरे पिता जोरा सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव कालियां व जिला- श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वसीयत 15.06.2015 को करवाई गई थी, उनका स्वर्गवास दिनांक 12.06.2022 को हो चुका है, जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

प्रार्थी को गवाहान हंसराज पुत्र नारायण राम एवं चेतन दास पुत्र राम चन्द्र ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री विनोद चुघ श्रीगंगानगर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

  
27/11/2022